(32)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (कैम्प भोपाल)

रिव्यू-3308-II/16 रिव्यू क्रमांक : ...../ 2016

देवीराम आत्मज श्री रामप्रसाद चौहान
कृषक व निवासी – ग्राम ईशरपुर,
तहसील बुदनी, ज़िला सीहोर (म.प्र.) (146) .... आवेदक/
पुनर्विलोकनकर्ता

विरूद्ध

01. मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय,
ज़िला सीहोर (म.प्र.)

02. नायब तहसीलदार, शाहगंज
तहसील बुदनी, ज़िला सीहोर (म.प्र.) .... अनावेदक/
उत्तरदाता

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

महोदय जी,

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा निगरानी/1590/II/2016 (देवीराम विरूद्ध शासन) में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 से दुःखी होकर आदेश जानकारी होने पर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह पुनर्विलोकन आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में न्यायिक निराकरण हेतु सादर प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त में

01. यह कि, आवेदक/पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी, न्यायालय नायब तहसीलदार,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –3308–दो/16 जिला –सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों अभिभाषकों आ हस्ताक्षर
18 -11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री गुलाब सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1590–दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.06.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3308–दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1590–दो/2016 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 28.06.16 से किया जा चुका हैं। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 3308–दो/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।	

ब–अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य